मध्यप्रदेश में थर्रा उठे हैं मिलावटखोर

आलेख - अनिल सिंह

मध्यप्रदेश में मिलावटी दूध की फैक्ट्रियों पर प्रशासन ने छापामारी की तो मिलावटखोरों को बचाने के लिए एक पूरी लॉबी सक्रिय हो गई। सरकार किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। वह सख्त है। यह प्रदेश के लिए अच्छा संकेत है। दरअसल मिलावट का शिकार मध्यप्रदेश भर नहीं है, यह पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है। समाज में कैंसर की तरह फैली मिलावटखोरी की इस बीमारी को ख़त्म करना होगा, नहीं तो मानव सभ्यता कमजोर हो जायेगी। बीमारियों से ग्रसित शरीर इस भूमण्डल पर स्वयं अपने लिए बोझ बनकर घूमेंगे। आने वाली पीढ़ियां - समाज और राष्ट्र के लिए खेवनहार नहीं बन सकेंगी।

वर्तमान समय में धनार्जन की होड़ एवं नैतिकता के पतन के चलते मिलावटी माल बनाने और बेचने का कारोबार असीमित रूप से बढ़ा है। खाद्य पदार्थों में मिलावट के नये-नये तरीके अपनाए जा रहे हैं। जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। यद्यपि मिलावट करना और ऐसे माल की आपूर्ति विक्रय करना क़ानूनन अपराध है। बावजूद इसके मिलावटखोरों में इसका खौफ नजर नहीं आता। चोरी-छिपे यह दूषित धंधा खूब चल रहा है। गरीब देशों में खाद्य पदार्थों में मिलावट का गोरखधन्धा बड़े स्तर पर चलता है। दूध में पानी, देशी घी में वनस्पति घी, सब्जी के मसालों में मिटटी तथा कूड़े करकट तथा लकड़ी के बुरादे के मिश्रण आम बात थी। अब मिलावट ने विस्फोटक रूप ले लिया है।

सरकार ने खाद्य पदार्थों तथा अन्य सभी चीजों में मिलावट करना सरकार द्वारा कानूनी अपराध घोषित कर रखा है। इस पर नियन्त्रण स्थापित करने के लिए प्रभावी व्यवस्था भी बनाई गई है। दवाई की शुद्धता की जांच के लिए औषधि निरीक्षण की प्रयोगशाला व्यवस्था है। खाद्य पदार्थों में मिलावट को रोकने के लिए खाद्य निरीक्षण, स्वास्थ्य निरीक्षण तथा अन्य बड़े प्रशासनिक अधिकारियों को सभी अधिकार दे रखे हैं।

ये सभी अधिकारी कभी-कभी तीज त्योहारों पर जांच पड़ताल करते हैं। छापे मारते हैं। अशुद्ध पदार्थों के नमूने लेकर प्रयोगशाला में भेजते हैं। न्यायालय में मुकदमा या चालान करते हैं। इसके लिए कोई कठोर कानून नही हैं, आजीवन कारावास जैसा कठोर दंड विधान नही है। सामान्यतया जुर्माना लिया जाता है या कुछ ले-देकर मामला शांत हो जाता है। फलस्वरूप इस मिलावट कारोबार पर कठोरता से और पूरी तरह से नियन्त्रण नही हो रहा है। इसमे आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

मिलावटी खाद्य पदार्थों को प्रयोगशालाओं में जांचने परखने पर जो तथ्य सामने आये हैं, वे रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। नकली घी, पनीर व मावा में यूरिया- शैम्पू आदि मिलाया जाता है। पेय पदार्थों में नालियों का पानी मिलाया जाता है। नकली शहद, पीछे हुए मसाले, मिर्च आदि में रंग देने के लिए हानिकारक केमिकल मिलाये जाते हैं।

फलों को पकाने के लिए रांगा-नौसादर जैसे खतरनाक पदार्थ मिलाये जाते हैं। खाद्य पदार्थों एवं मिठाइयों को चमकदार बनाने के लिए खतरनाक केमिकलों या रंगो का प्रयोग किया जाता है। इस तरह मिलावटी कारोबार से कैंसर, चर्मरोग, ह्रयरोग आदि अनेक घातक रोग फ़ैल रहे है। धन हानि भी हो रही है और नैतिक आदर्श का पतन भी हो रहा है।

मिलावटी माल का कारोबार जधन्य अपराध है। खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वाले सारे समाज के दुश्मन हैं। तुच्छ स्वार्थ की खातिर ऐसे अपराधी कार्यों में प्रवृत लोगों को कठोर से कठोर कानून की सजा मिलनी चाहिए। साथ ही भारतीय समाज को भी नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। मिलावटखोरी पर नियंत्रण करके ही इस लालची परम्परा को समाप्त करना जरुरी है। भारी-भरकम विभाग करोड़ों अरबों का शासकीय खर्च और ऊपर से रिश्वतखोरी का साम्राज्य आखिर हम जा कहाँ रहे हैं, मानव सभ्यता को क्षणिक सुख के कारण किस विभीषिका के मुहाने पर छोड़ेंगे क्या हमें यह पता है?

मध्यप्रदेश के भिंड में पकड़ी फैक्ट्री में दूध में पांच गुना पानी, माल्टोस डेक्सिटन पाउडर, शैंपू मिलाया जाता है। चिकनाहट के लिए रिफाइंड ऑयल और अंत में केमिकल मिलाते हैं। इस केमिकल के इस्तेमाल से दूध जल्दी खराब नहीं होता है। पुलिस अधीक्षक एसटीएफ भोपाल राजेश सिंह भदौरिया बताते हैं कि आरोपियों ने दूध बनाने वाले चार बडे ब्रांड के नाम भी बताए हैं। कंपनियों के क्वॉलिटी कंट्रोल के लोगों से आरोपियों की साठगांठ थी, इसलिए वे आसानी से सिंथेटिक दूध सप्लाई कर देते थे। इसलिए सिंथेटिक दूध को वे हानिकारक नहीं बताते थे। फिर यही दूध आपके और हमारे घरों में पहुंचने वाले दूध में मिला दिया जाता था।

मध्यप्रदेश की सरकार इस दिशा में बेहद सख्त हुई है। राज्य की सरकार ने मिलावट का आरोप सिद्ध होने पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करना आरंभ किया है। कुछ कार्रवाई हो भी गई हैं। दरअसल यह जरूरी भी है। जब तक सख्त सजा नहीं होगी तब तक मिलावटखोर थोड़े से मुनाफे के लिए लोगों की जान से खलेने से बाज आने वाले नहीं हैं। प्रदेश की सरकार यहीं नहीं रूकी है, वह कुछ और सख्त प्रावधान कानून में मिलावटखोरों के खिलापफ करने जा रही है। खका तैयार है। आने वाले विधानसभा सत्र में सरकार बिल लाकर कानून को अंतिम रूप देने वाली है।

यदि मिलावटखोरी नहीं रोकी गयी तो मानव सभ्यता बर्बादी की कगार पर आ जायेगी फिर कमजोर और बीमार मानव सभ्यता अपने आप में ही सिसकती रहेगी वह मानव कल्याण की दिशा में क्या सोच पाएगी ?

(प्रस्तुति: मनुज फीचर सर्विस)

नोट: मनुज फीचर सर्विस में छपे लेखों के विचार लेखक के अपने हैं। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय का इनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है। यहां प्रकाशित सामग्री का उपयोग गैर व्यावसायिक कार्यों के लिए करने हेतु किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है। मनुज फीचर सर्विस का उल्लेख अवश्य करें।